

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025

शिविर- सादलवाड़ा क्लब

प्रकरण संख्या- 28/2025

दिनांक- 24/6/2025

उत्तरदाता

श्री आत्माराम पुत्र
बड़ी

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाला दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दरतापत्र, पटवारी हल्का डा. उला भू. अ. नि. डा. उला एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम बोडा पं० ह० डा. उला की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाला संख्या 105 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	<u>बैंड डा. उला</u>	<u>आत्माराम पुत्र बड़ी मीणा ठि 1/15 राहिन 5807 शाका SWM सीटी</u>	<u>आत्माराम पुत्र बड़ी मीणा ठि 1/15 राहिन 5808 शाका SWM सीटी</u>

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिदिशि :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेखा के आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री आत्माराम पुत्र बड़ी मीणा ठि 1/15 राहिन 5807 शाका।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)